

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

<p align="center">हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज</p> <p align="center">दोशोड बनाम सुरेश वर्मा</p> <p align="center">मुद्दा 38/25 किस्म - 12</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10-4-26 को पेश की।</p>	
<p>10.4.26 अति पीठासीन अधिकारी अल्प राउफ-कार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29.4.26 को पेश की।</p>	
<p>29.4.26 अतिभाष्यमे द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 01.5.26 को पेश की।</p>	
<p>01.05.26 पत्रावली पेश हुई। पत्रकारान को बार-2 अवाज दिलवाई गई। उभय पक्ष अनुपस्थित रहे। पत्रावली लम्बे समय से तखती में लीकित है। शर्तों को कार. 2 निर्देशों के अन्तर्गत भी शर्तों द्वारा अकार्यवाही के गमीले पेश नहीं की और निर्देशों से अपहेलना की गई। इससे स्पष्ट हो ही शर्तों पत्रावली में कोई भी कार्यवाही के लिए हस्तक्षेप नहीं है। इसलिए पत्रावली शर्तों की अवधि हाजरी व अदम पेशकी में रकीज की जानी है। और पत्रावली में 16.05.2025 को जारी अन्तरिम अर्द्धाई निवेदनका के प्रकलन को सम्पूर्ण विधा जाता है। पत्रावली केवल कुमार होकर दाखिल स्फुर हो।</p> <p align="right">उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p>	